

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I का कार्यालय, महाराष्ट्र

No. Admn-I/MACPS/MTS/I37

Date : 30-09-2025

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के दिनांक 20.5.2009 के पत्र क्रमांक 28-Audit [Rules] 8-2009 द्वारा प्राप्त भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.5.2009 को जारी कार्यालय जापन क्रमांक 35034/3/2008-Estt [D] के अनुसार दिनांक 01.09.2008 से लागू संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना [MACPS] के अंतर्गत श्री एन. एच. पडवेकर, विविध कार्य कर्मचारी (MTS) को लगातार 20 वर्ष की सेवा होने पर 01-01-2026 से सीसीएस (आर पी) नियम 2016 के मैट्रिक्स लेवल 3 में दूसरी आर्थिक बढोतरी [Financial Up-gradation] मंजूर की गई है।

In pursuance of the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) effect given from 01-09-2008 in terms of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel and Training, New Delhi's O.M. No. 35034/3/2008-Estt (D) dated 19-05-2009 endorsed vide Headquarters' office letter No. 28-Audit (Rules) 8-2009 dated 20-05-2009, Shri N. H. Padvekar, Multi Tasking Staff, who has completed 20 years of continuous service is granted 2nd financial up-gradation to Level 3 of CCS (RP) Rules 2016 with effect from 01-01-2026.

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय बढोतरी कर्मचारी को विशुद्धतः व्यक्ति रूप से दी जाएगी और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बढोतरी नहीं दी जाएगी कि इस लेवल में कनिष्ठ कर्मचारियों ने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन प्राप्त कर लिया है।

The financial up-gradation under the MACP Scheme is purely personal to the employee and has no relevance to his/her seniority position. As such, there shall be no additional financial up-gradation for the senior employees on the ground that junior employees in the grade have got higher pay/grade pay under the MACP Scheme.

उपरोक्त कर्मचारी एफ आर 22(1)(ए)(1) के अधीन अपना विकल्प प्रस्तुत करे। यह विकल्प उनके वेतन को पे मैट्रिक्स के उच्चतर पर निर्धारित करने हेतु है जो या तो उनके पदोन्नयन की तिथि से या अगले वेतन वृद्धि यानि जुलाई 01/ जनवरी 01 जो लागू हो से की जाएगी। यह विकल्प 01.01.2026 की तिथि से एक माह के अंदर प्रशामन- 2 को प्रस्तुत किया जाना है। दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा।

The above official may submit an option under FR 22(1)(A)(I) to get his pay fixed in the higher Level of Pay Matrix either from the date of his up-gradation or from the date of his next increment i.e. 1st July/ 1st January of the year as the case may be. Option for pay fixation should be exercised and submitted to Admn-II section within a month from the date of 01.01.2026. The option once exercised shall be final.

(प्रधान महालेखाकार का अनुमोदन दिनांक: 30-09-2025 को प्राप्त हुआ है।)

हस्ता/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार / प्रशामन

2427
EDP (SG)

No. Admn-I/MACPS/MFS/524

Date:- 30-09-2025

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :

1. प्रधान महालेखाकार की मंचिव
2. समूह अधिकारियों के आशुलिपिक - ग्रेड 2
3. भुगतान व लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा, मुंबई 400 020
4. आंतरिक जांच लेखा परीक्षा अधिकारी
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशासन-II/प्रशासन-III/आस्थापना/अभिलेख -1/ अभिलेख -2
6. सचिव, अकौण्ट्स कैटगरी - 3 असोशिएशन
7. श्री एन. एच. पडवेकर, विविध कार्य कर्मचारी
8. अतिरिक्त प्रतियाँ


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ प्रशासन I